न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 44 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम
2. भैराराम पुत्र मंगलाराम
3. हरदास उर्फ हरदेवराम पुत्र मंगलाराम
4. सुजानाराम पुत्र मंगलाराम
5. बाबुलाल पुत्र मंगलाराम
6. श्रीमती जमना बेवा मंगलाराम
7. सेनाराम पुत्र अमराराम
8. सदराम पुत्र अमराराम
9. मु0 भींयाराम पुत्र अमराराम फौत के कायम मुकामः–
   - 9/1सूरजन पुत्र भींयाराम
   - 9/2हनुमान पुत्र भींयाराम
   - 9/3श्रवण पुत्र भींयाराम
   - 9/4रामलाल पुत्र भींयाराम
   - 9/5दिनेश पुत्र भींयाराम
   - 9/6मु. अणभा बेवा भींयाराम
10. चूनाराम पुत्र अमराराम
11. श्रीमती वीरों पत्नी उदाराम
12. बालूराम पुत्र भगाराम
13. जैकिशन पुत्र भगाराम
14. चनणाराम पुत्र भगाराम
15. श्रीमती चन्दू बेवा भगाराम
16. घमुराम पुत्र नरींगाराम
17. सदराम पुत्र रामकिशन
18. पांचाराम पुत्र रामकिशन
19. मोहनलाल पुत्र रामकिशन
20. किशन पुत्र रामकिशन
21. श्रीमती सुगनी बेवा रामकिशन जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम1.रामकेन पुत्र दौलाराम
2.धूड़ाराम पुत्र दौलाराम
3.मंगलाराम पुत्र दौलाराम का.मु.
3/1वरींगाराम पुत्र मंगलाराम
3/2जगमालराम पुत्र मंगलाराम
3/3धर्माराम पुत्र मंगलाराम
3/4सुखराम पुत्र मंगलाराम
4.हरजीराम पुत्र चूनाराम
5.रूगनाथराम पुत्र विरधाराम
6.जगमालराम पुत्र मंगलाराम
7.श्रीमती शांति पत्नी रामजीवन
8.धीमाराम पुत्र राजू जाति विश्नोई निवासी कुम्हारों की बेरी(कोजा)
9.अणदाराम पुत्र नरींगाराम
10.तेजाराम पुत्र नरींगाराम
11.पाबूराम पुत्र नरींगाराम
12.श्रीमती नेनू पत्नी सोनाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धौरीमन्ना।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 60/2008 बअनवान अणदाराम वगैरह बनाम रामकेन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.02.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थिति

1. वकील श्री भाखराराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 14.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने ग्राम कुम्हारों की बेरी की सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 38, 39, 169, 170 कुल रकबा 354.10 बीघा के खातेदारी घोषणा के लिए एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के दादा–पड़दादा स्व0 गुलाराम से प्राप्त हुई है जो पैतृक खातेदारी की सम्पति है। स्व0 गुलाराम जी के तीन पुत्र सबसे बड़े ईशराराम उससे छोटा भागचन्द व सबसे छोटे भारताराम थे। भू–माप के समय वादग्रस्त भूमि दोनों बड़े लड़के ईशराराम व भागचन्द के नाम से गलती से दर्ज कर दी तथा सबसे छोटे भारताराम का नाम दर्ज नहीं किया। भारताराम वादीगण के पूर्वज है। भारताराम का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा खातेदारी व कब्जेकाश्त में है। विवादित भूमि के अलावा गुलाराम के तीनों लड़कों की ग्राम कोजा में भूमि खसरा संख्या 352 रकबा 67.18 बीघा का पट्टा स्व0 गुला के तीनों लड़कों के नाम से जारी किया गया है। विवादित भूमि में आधा हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का है तथा शेष आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 से 29 का है। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित प्रतिवादीगण ने वादीगण से राजीनामा कर वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी तथा वादी ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी संख्या 01, 06 व 10 ने भी वादीगण के साक्षी के रूप अपने बयान दर्ज करवाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2004 के द्वारा वादीगण को विवादित भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अकेले प्रतिवादी संख्या 31 जगमालराम ने एक अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई जो दिनांक 07.06.2006 को स्वीकार कर मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थी जगमलाराम के अधिकारों की सुनवाई कर उसके हिस्से की भूमि की घोषणा किये जाने का निर्देश दिया जिस पर वाद अधीनस्थ न्यायालय में अभी विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2006 के द्वारा मामला सुनवाई कर केवल अपीलार्थी जगमालराम के हिस्से की घोषणा करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने दिनांक 14.02.2008 को एक

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 बलपूर्वक अपीलार्थीगण को बेदखल करने की तथा विवादित भूमि को अन्य को बेचान कर देने की तथा जबरन कब्जा कर लेने की धमकीयां दे रहे हैं। विवादित भूमि अपीलार्थीगण की पैतृक खातेदारी की व कब्जेकाश्त की है। प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 अजनबी खरीद्दार है। जिनका कोई कब्जा नहीं है तथ प्रत्यर्थी संख्या 01 से 07 को अपीलार्थीगण के पैतृक खातेदारी भूमि के कब्जे में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2008 को अपीलार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश दिया परन्तु आदेश दिनांक 07.02.2011 के द्वारा बिना कोई न्यायसंगत कारण दिये केवल तकनीकी आधार पर अपीलार्थीगण का आवेदन खारिज कर दिया गया जबकि अजनबी सह हिस्सेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अपीलार्थीगण कानूनी अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इन कारणों की ओर बिना ध्यान दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित प्रतिवादीगण ने वादीगण से राजीनामा कर वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी तथा वादी ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी संख्या 01, 06 व 10 ने भी वादीगण के साक्षी के रूप अपने बयान दर्ज करवाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2004 के द्वारा वादीगण को विवादित भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अकेले प्रतिवादी संख्या 31 जगमालराम ने एक अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई जो दिनांक 07.06.2006 को स्वीकार कर मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थी जगमलाराम के अधिकारों की सुनवाई कर उसके हिस्से की भूमि की घोषणा किये जाने का निर्देश दिया जिस पर वाद अधीनस्थ न्यायालय में अभी विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2006 के द्वारा मामला सुनवाई कर केवल अपीलार्थी जगमालराम के हिस्से की घोषणा करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने दिनांक 14.02.2008 को एक प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 बलपूर्वक अपीलार्थीगण को बेदखल करने

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की तथा विवादित भूमि को अन्य को बेचान कर देने की तथा जबरन कब्जा कर लेने की धमकीयां दे रहे हैं। विवादित भूमि अपीलार्थीगण की पैतृक खातेदारी की व कब्जेकाश्त की है। प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 अजनबी खरीद्दार है। जिनका कोई कब्जा नहीं है तथ प्रत्यर्थी संख्या 01 से 07 को अपीलार्थीगण के पैतृक खातेदारी भूमि के कब्जे में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2008 को अपीलार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश दिया परन्तु आदेश दिनांक 07.02.2011 के द्वारा बिना कोई न्यायसंगत कारण दिये केवल तकनीकी आधार पर अपीलार्थीगण का आवेदन खारिज कर दिया गया जबकि अजनबी सह हिस्सेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अपीलार्थीगण कानूनी अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इन कारणों की ओर बिना ध्यान दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2004 को न्यायालय हाजा में अपील पेश कर बाद सुनवाई अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। जिस निर्णय एवं डिक्री पालना में नामांतकरण संख्या 189 भरा गया वो शून्य हो चुका है। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी रिकॉर्डेड क्रेता है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उसके हितों के खिलाफ है। अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में न्यायालय हाजा ने पूर्व में दिनांक 07.06.2006 को निर्णय करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2004 निरस्त कर दिया। इस पर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 144 के आवेदन पर अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा निर्णय कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इस निर्णय से अपीलांट के खातेदारी हित प्रभावित हुए हैं और मौके की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 60/2008 बअनवान अणदाराम वगैरह बनाम रामकेन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.02.2011 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मामले के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अपीलांट के कब्जा काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे।

14/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner